बिहारीलाल बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र मु.नं. - 45/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	तथा खसरा नम्बर 84 का रकबा ~~0.05~~ ~~-0.0250~~ अर्थात 0.0250 हैक्टर किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई है। जिससे वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट में दर्ज तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6156/भू.अ./2019 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्णित लाल स्याही से प्रस्तावित स्थल को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।
	"आदेश"
	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0आर0एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6156/भू.अ./2019 दिनांक 20.12.2019 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग बनाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.04 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested